

राजस्थान विधान सभा
तृतीय सत्र
कार्य-सूची
सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2009
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा सीकर जिले में गोडियावास से गोठडा तगेलान मिसिंग लिंक डामर सड़क बनाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(2) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य विधान सभा ग्राम पंचायत मुख्यालय इंदपालसर सांखलान तहसील-श्री झूंगरगढ में प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(3) श्रीमती अन्जू खन्गवाल, सदस्य विधान सभा बस्सी में जयपुर-बस्सी रोड पर रेल्वे फाटक पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(4) श्री पेमाराम, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

(I) जिला सीकर पंचायत समिति धोद के कतिपय ग्रामों में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत् ; एवं

(II) ग्राम भढाउर से भुकरों का बास, जिला सीकर में डामर सड़क बनाने बाबत् ।

(5) श्री पवन कुमार दुग्गल, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

(I) अनूपगढ विधान सभा क्षेत्र के समस्त बन्द पड़े जी.एल.आर. को चालू करवाने बाबत् ; एवं

(II) अनूपगढ विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों को जोड़ने के लिये सड़कों के निर्माण बाबत् ।

(6) श्री महेन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा विधान सभा क्षेत्र नावां की ग्राम पंचायत देवली कलां के ग्राम कालिया के बास स्थित वैकल्पिक विद्यालय को पुनः शुरू करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-131 के अन्तर्गत श्री कालीचरण सराफ एवं श्री राजपाल सिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर के अन्तर्गत वार्ड नम्बर-15,19,20 एवं 21 के बीच से गुजर रही रेलवे लाइनों पर स्थित फाटकों पर अण्डरपास बनवाये जाने के संबंध में नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-131 के अन्तर्गत श्री करण सिंह राठौड़, सदस्य विधान सभा जिला बारां के छबड़ा उपखण्ड में सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिये अवाप्त की जाने वाली भूमि का किसानों को समुचित मुआवजा व कृषकों को विशेष पैकेज देने के संबंध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4.परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	16- पुलिस
2.	17- कारागार

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे ।)

नोट - परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी ।

5. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-4)
विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-15)

"वित्तीय वर्ष 2009-2010 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

6. आधे घण्टे की चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा राजस्व रिकॉर्ड के कम्प्यूटीकरण से कृषकों को ऋण /दस्तावेज की सुविधा विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 127(812/राजस्व) के उत्तर से जो दिनांक 17 जुलाई, 2009 को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे ।

एच.आर.कुडी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 24 जुलाई, 2009

